न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 04/2015 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. मनफूल पुत्र हरदेवा जाति अहीर निवासी कैरवावाल तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर ।

..... अपीलांट

बनाम

1. कजोड़ी पुत्र धून्धी जाति अहीर निवासी कैरवावाल तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर
2. करणसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह,
3. नरेशसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कैरवावाल तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर ।

..... असल रेस्पो0

4. कालूराम पुत्र श्री हीरालाल,
5. विश्राम पुत्र हीरालाल,
6. भूपेन्द्र पुत्र हीरालाल,
7. समयसिंह पुत्र हीरालाल जाति अहीर निवासी कैरवावाल तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर ।

.....तरतीबी रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री मूलचन्द चौधरी अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री बाबूसिंह राघव अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–30.11.2017

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, अलवर के निर्णय दिनांक 3.2.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत न्यायालय में एक दावा तकसीम आराजी व हुक्मईम्तनाई दवामी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 जा0दी0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी ख0 नं0 1347/0.64, 1348/0.17, 1349/0.01, 1350/0.21, 1354/0.39 व 1355/0.43 कुल किता 6 रकबा 1.85 है0 वाके ग्राम केरवावाल फरीकेन की संयुक्त कब्जे काश्त

30.11.17

खातेदारी की आराजी है जिसमें वादी सं0 1 मनफूल 1/3 भाग व वादी सं0 2 एवं तर0 प्रतिवादी सं0 2, 3, 4 का 1/3 भाग के तथा असल प्रतिवादी 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार है व इसी प्रकार शामलात में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा लगान अदा कर रहे हैं । विवादित आराजी अबट आराजी है जिसका हमारे मध्य कोई विभाजन नहीं हुआ है व इसके हर इंच पर समस्त खातेदार का शामलात में कब्जा काश्त चला आ रहा है । ख0 नं0 1349 में पुख्ता चाह बना हुआ है जिससे हम आराजी की आवपाशी करते हैं । प्रतिवादी/गैर सायल के दिल में बेईमानी आ गयी है जो बतौर बदयान्ती मनमाने तरीके पर आराजी का विभाजन कराये बिना ही दीगर लोगों को रहन, बय व हिबे आदि से मुन्तकिल करने पर उतारू हैं। इसलिए उन्हें पाबन्द करने का निवेदन किया कि बिना विभाजन किये विवादित आराजी को दीगर लोगो को रहन, बयक हिबा आदि से मुन्तकिल ना करें । विद्धान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी/गैर सायल को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 03.02.2015 को वादीगण/सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिस निर्णय दि0 03.02.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी । अपीलांट अभिभाषक ने बहस में दावे और अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि तहत न्यायालय में अपीलांट द्धारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट पेश किया था जिसमें मौका व रेकार्ड की स्थिति यथावत रखने के आदेश दिये गये । तहत न्यायालय द्धारा अपीलांट का दावा 53 आर.टी.एक्ट प्रारम्भिक तौर पर डिक्री कर दिया और उसके साथ–साथ अपीलांट का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट ताहाल विचाराधीन रहा जिसमें समय–समय पर टी.आई. की अवधि बढ़ायी जाती रही है जिसमें किसी पक्षकार को कोई ऐतराज भी नहीं था लेकिन तहत न्यायालय ने बिना किसी आधार के टी.आई. का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

उन्होंने आगे बताया कि जब वाद की कार्यवाही अभी तहत न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आगामी पेश 17.3.2015 वास्ते इन्तजार रिपोर्ट तहसीलदार मालाखेड़ा नियत की हुई है तो विचाराधीन प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का कोई ओचित्य नहीं था । तहत न्यायालय द्धारा अपने निर्णय में यह अंकित करना कि 212 आर.टी.एक्ट के प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है, कानून के खिलाफ है । जब एक तरफ वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुरेजात की कार्यवाही में विचाराधीन है और जब तक कुरेजात की रिपोर्ट तहत न्यायालय में प्राप्त नहीं हो जाती तब तक 212 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि जब तक तहत न्यायालय द्धारा वाद का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक 212 के प्रार्थना पत्र का कानूनन निस्तारण नहीं किया जा सकता है ।

आगे बहस में निवेदन किया कि अंतिम डिक्री पक्षकारान के कुरेजात के अनुसार बंटवारा होकर दखल दिये जाने के बाद ही अंतिम डिक्री होती है और तब तक मौका व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखना कानून सम्मत है लेकिन तहत न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर गौर नहीं किया । प्रार्थना पत्र के निस्तारण के बाद असल रेस्पो0

30.11.17

विवादित आराजी की मौका व रेकार्ड की स्थिति बदलने की पूरी जुस्तजू व कोशिश में है । यदि रेकार्ड व मौके की स्थिति को बदल दिया गया तो अपीलांट को अपूरणीय हानि होगी । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 अभिभाषक ने जवाब बहस में कहा कि हम अपने हिस्से का बेचान कर सकते हैं । अपीलांट हमारे हिस्से तक की आराजी के लिए हमें पाबन्द नहीं करा सकता है । प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तहत न्यायालय ने हमारे पक्ष में मानी है । इसलिए तहत न्यायालय ने सही आदेश पारित किया है । अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । वाद के तथ्यों तथा अपील मीमों के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय के निर्णय दिनांक 3.2.2015 का अवलोकन करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया ।

तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दि0 3.2.2015 निर्णय की श्रेणी में नहीं आना पाया जाता है । प्रकरण में उभयपक्षों में जारी प्रारम्भिक डिक्री होना अवगत कराया है तथा अंतिम डिक्री के लिए पत्रावली इन्तजार कुरे रिपोर्ट में थी । ऐसी स्थिति में दिनांक 3.2.2015 को पारित आदेश स्पीकिंग आर्डर की श्रेणी में नहीं है जबकि अपीलांट का कथन है कि कुरे रिपोर्ट प्राप्त होते ही अंतिम डिक्री पारित हो जाती तब तक रेकार्ड व मौक कब्जा की यथास्थिति बनाये रखना उचित था । न्यायालय अपीलांट अभिभाषक की अपील के तथ्यों तथा बहस से सहमत हैं । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के संबंध में पारित निर्णय निरस्त योग्य है और अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर का निर्णय दिनांक 3.2.2015 निरस्त किया जाता है तथा विवादित आराजी के संबंध में अंतिम डिक्री पारित होने तक रेकार्ड व मौका कब्जे की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30.11.17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर